कार्यालय जिला पंचायत, आजमगढ़।

पत्रांक: /सा0नि0वि0/निविदा/जि0पं0–आ0/2018–19/ दिनांक 27 सितम्बर, 2018

अल्पकालीन ई–निविदा–सूचना

जिला पंचायत, आजमगढ़ के समस्त नवीनीकृत/पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से जिला पंचायत आजमगढ़ द्वारा कराये जाने वाले 67 निर्माण कार्यो की निविदाये मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत, आजमगढ की स्वीकृति के कम में प्रतिशत दर के आधार पर ऑनलाईन दिनांक 10.10.2018 को सांय 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदादाता किसी एक अथवा समस्त कार्यो हेतु निविदा में भाग ले सकता है। निविदा प्रपत्र विवरण मय शर्तो व बिल ऑफ क्वाटिटी सहित वेबसाइट **http://etender.up.nic.in** पर दिनांक 01.10.2018 समय 03.00 बजे अपरान्ह से 10.10.2018 तक अपरान्ह 3.00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड किया जा सकता है, जो दिनांक 11.10.2018 को अपरान्ह 01.00 बजे जिला पंचायत कार्यालय में निविदा समिति के द्वारा खोली जायेगी। निविदा फार्म शुल्क निविदा फार्म सूची के कालम–6 में अंकित धनराशि का पृथक–पृथक बैंक ड्राफ्ट जो अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत आजमगढ़ के पक्ष में देय होगा एवं निविदा सूची कालम–5 में अंकित धरोहर धनराशि का पृथक–पृथक एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0/के0वी0पी0 जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत आजमगढ़ के पद नाम से बंधक होगी, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत आजमगढ़ के पक्ष में देय हो, की स्कैन प्रतियॉ ई–निविदा फार्म के साथ संलग्न की जायेगी तथा समस्त मूल प्रतियॉ दिनांक 10.10.2018 को अपरान्ह 5.00 बजे तक जिला पंचायत कार्यालय (निर्माण अनुभाग) में रखे निविदा बाक्स में डालना अनिवार्य होगा। न्यूनतम निविदादाता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अनुसार अनुबन्ध पत्र गठित करने की कार्यवाही की जायेगी। जी0एस0टी0 व शेष के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेश उपरोक्त निविदाओं पर प्रभावी रहेगें। किसी भी ई–निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा से सम्बन्धित समस्त शर्तो आदि की जानकारी कार्यालय दिवस में कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है।

नोट– निविदा–सूचना के क0सं0 01 से 13 तक पैच मरम्मत के कार्यो को दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 तक एवं क0सं0 14 से 67 तक के कार्यो को दिनांक 15 नवम्बर, 2018 तक किसी भी दशा में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

(ए0के0 सिंह)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, आजमगढ़।

पृ0सं0: 862/तद् दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिलाधिकारी महोदय, आजमगढ़ को अवलोकनार्थ प्रेषित।

2– मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आजमगढ को सूचनार्थ प्रेषित।

3– वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, आजमगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, आजमगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि निविदा–सूचना की साफ्ट कापी को जनपद की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

5– दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं आज को अपने सम्मानित समाचार पत्र में 08 प्वाईट के अक्षरो में न्यूनतम स्थान पर वाराणसी संस्करण के अगले अंक में आजमगढ़ पृष्ठ पर एक दिन प्रकाशित कर बिल शासकीय दर से भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भेजने का कष्ट करें।

6– कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, आजमगढ़।